

**राजस्थान सरकार**  
**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग**

क्रमांक एफ5(255)सूप्रौ/टेक/06/पार्ट-1/311

जयपुर, दिनांक : 17/11/2012

**आदेश**

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा एवं राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के समस्त संवर्गों का पुनरीक्षण इस विभाग के समसंख्यंक आदेश क्रमांक 2099 दिनांक 20.6.2011 एवं आदेश क्रमांक 3624 दिनांक 30.9.2011 के द्वारा किया जाकर राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की केडर स्ट्रैन्थ विभागवार निर्धारित की गई थी। उक्त विभागीय आदेश क्रमांक 3624 दिनांक 30.9.2011 के क्र.स. 13 एवं क्र.स. 20 पर अंकित विभागों की केडर स्ट्रैन्थ में संशोधन किया जाकर निम्नानुसार केडर स्ट्रैन्थ पुनः निर्धारित की जाती है:-

| Order S.No. | Name of Department/Board              | Place  | Revised Cadre Strength |         |          |      |     |     |
|-------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---------|----------|------|-----|-----|
|             |                                       |        | AD                     | SA (JD) | ACP (DD) | Prog | AP  | IA  |
| (1)         | (2)                                   | (3)    | (4)                    | (5)     | (6)      | (7)  | (8) | (9) |
| 13          | Co-Operative Department               | Jaipur |                        |         | -        | 1    |     |     |
| 20          | Rajasthan State Beverages Corporation | Jaipur |                        |         | 1        | -    |     |     |

इस प्रकार राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की कुल संशोधित केडर स्ट्रैन्थ समसंख्यंक आदेश क्रमांक 3624 दिनांक 30.9.2011 के अनुसार निम्नानुसार रहेगी:-

| S. No. | Name of Department/Board | Place | Revised Cadre Strength |         |          |      |     |     |
|--------|--------------------------|-------|------------------------|---------|----------|------|-----|-----|
|        |                          |       | AD                     | SA (JD) | ACP (DD) | Prog | AP  | IA  |
| (1)    | (2)                      | (3)   | (4)                    | (5)     | (6)      | (7)  | (8) | (9) |
|        | <b>Total</b>             |       | 3                      | 22      | 155      | 203  | 235 | 599 |
|        | <b>Grand Total</b>       |       | 1217                   |         |          |      |     |     |

शं. 257  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-3, 4 एवं 5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1 एवं 2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- ✓ 10. प्रमारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को प्रति भेजते हुये लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर सिविल लिस्ट, आई.टी. डायरेक्ट्री एवं औरगेनोग्राम में आवश्यक अपडेशन करें।
11. रक्षित पत्रावली।
12. संबंधित विभाग/रक्षक .....

कार्यालयाध्यक्ष